वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्रीमती मदीना बानू................ वकील वादीगण
अनुपस्थित– प्रतिवादीगण समस्त

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.06.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कोठिया हल्का पटवारी क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 972 के आराजी संख्या 1354, 1368, 1646, 1647, 1741, 1747, 2187/4090, 2210 किता 8 कुल रकबा 3.97 हैक्टे. एवं खतौनी संख्या 973 के खसरा संख्या 1351, 1353 किता 2 कुल रकबा 0.05 हैक्टे. भूमि जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादी के दादा श्री अमीरदीन पिता वजीरदीन काजी मुसलमान के देहान्त उपरान्त राजस्व अभिलखों में स्व. दादा श्री अमीरदीन की विरासत प्रक्रिया के दौरान भूलवश जाति को काजी मुसलमान के स्थान पर नीलगर दोषयुक्त दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण का वास्तविक जाति काजी मुसलमान है। यह त्रूटीपूर्ण ईन्द्राज आदिनांक तक अनवरत रूप से चला आ रहा है।

अतः वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादीगण की जाति नीलगर के स्थान पर काजी मुसलमान दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 17.12.2021 को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र वादी मंजूर किये जाने में अपनी ओर से कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए प्रमाण में ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। शेष विपक्षीगण विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीगण की शहादत्त में वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालु जमाबन्दी सवंत् 2076–79, साबिक जमाबन्दी, ग्राम पंचायत की टिप्पणी ईत्यादि पर क्रमशः प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 के अंकन किए गये। उपस्थित वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंकित कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि———

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

———वादीगण की जाति का नीलगर के स्थान पर काजी मुसलमान अभिलेखों में दुरूस्त किया जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार अभिलेख एवं समर्थन में प्रस्तुत किए गये दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण/विश्र्लेषण उपरान्त वादीगण की जाति का नीलगर के स्थान पर काजी मुसलमान दुरूस्त किया जाना न्यायालय उचित मानता है।

—::आदेश::—

वादीगण का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कोठिया हल्का पटवारी क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 972 के आराजी संख्या 1354, 1368, 1646, 1647, 1741, 1747, 2187/4090, 2210 किता 8 कुल रकबा 3.97 हैक्टे. एवं खतौनी संख्या 973 के खसरा संख्या 1351, 1353 किता 2 कुल रकबा 0.05 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण की जाति का *नीलगर के स्थान पर काजी मुसलमान* दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा